बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 09.09.2015

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस नोट के माध्यम से बिहार विधान सभा के सभी 243 सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा कर दी गयी है।
- चुनाव के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
- मुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। उक्त उद्देश्य हेतु प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जायेगी।
- चुनाव पाँच चरणों में कराये जायेंगे –

चरण	मतदान की तिथि
प्रथम चरण	12 अक्टूबर, 2015
द्वितीय चरण	16 अक्टूबर, 2015
तृतीय चरण	28 अक्टूबर, 2015
चतुर्थ चरण	1 नवम्बर, 2015
पंचम चरण	5 नवम्बर, 2015

- मतगणना की तिथि — 8 नवम्बर, 2015
- वह तिथि जिसके पूर्व चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे — 12 नवम्बर, 2015

- कुल मतदान केन्द्रों की संख्या – 62,779
- कुल मतदान केन्द्र स्थलों की संख्या – 46,191
- निर्वाचकों की विवरणी –
  - (क) पुरूष – 3,56,46,870
  - (ख) महिला – 3,11,77,619
  - (ग) तृतीय लिंग – 2,169
- कुल निर्वाचकों की संख्या – 6,68,26,658
- 18–19 आयु वर्ग के कुल निर्वाचकों की संख्या – 24,13,024
- 20–29 आयु वर्ग के कुल निर्वाचकों की संख्या – 1,80,52,289
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 (जनवरी, 2015 में अन्तिम प्रकाशन) में निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत – 4.84%
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2015 (जुलाई, 2015 में अन्तिम प्रकाशन) में निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत – 2.58%
- ईपिक आच्छादन – 100%
- फोटो आच्छादन – 99.98%
- निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण की प्रक्रिया जारी है। अर्हता प्राप्त कोई व्यक्ति जिला जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निबंधन पदाधिकारी/मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी को आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट पर ऑनलाइन पद्धति से भी आवेदन किया जा सकता है।
- वेबसाइट/एस0एम0एस0/एन्ड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से निर्वाचक सूची में नाम होने एवं मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- शत्–प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय पुलिस बल (सी0पी0एफ0) तैनात किये जायेंगे।

- विधि--व्यवस्था संधारण से संबंधित सभी निवारक गतिविधियाँ व्यापक रूप से की जा रही है।
- मतदान केन्द्रों की Vulnerability Mapping एवं Critical मतदान केन्द्र का निर्धारण अन्तिम चरण में है एवं इसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।
- पर्याप्त मात्रा में ई0वी0एम0 उपलब्ध है। इनके प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 30 जिलों में BEL एवं शेष 8 जिलों में ECIL के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा।
- 34 जिलों के (शिवहर, अरवल, लखीसराय एवं शेखपुरा जिला को छोड़कर) 36 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रयुक्त किये जायेंगे।
- वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण सभी जिलों में पूर्ण कर लिया गया है।
- ए–श्रेणी के सर्वाधिक व्यय संवेदनशील 67 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन व्यय–अनुश्रवण के लिए उड़नदस्ता दल में केन्द्रीय पुलिस बलों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- चुनाव के दौरान धन–बल के दुरूपयोग को रोकने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी है।
- सभी उड़नदस्ता दल एवं स्थायी निगरानी दल मतदान की तिथि तक संबंधित क्षेत्रो में कार्यरत रहेंगे।
- सेक्टर पदाधिकारी, उड़नदस्ता दल, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती–सह–संग्रहण दल (PCCP) के वाहनों जी0पी0एस0 उपकरण लगाये जायेंगे जिसके माध्यम से वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखा जायेगा।
- एक विस्तृत वाहन प्रबंधन व्यवस्था निर्मित की गयी है जिसके माध्यम से जिलों में निर्धारित समयानुसार वाहन अधिग्रहण, प्रबंधन एवं मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा।
- आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के अनुश्रवण हेतु एक एन्ड्रॉयड मोबाईल एप्लीकेशन निर्मित किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता के द्वारा भी ऐसे मामलों को प्रतिवेदित किया जा सकता है। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर बी0ए0जी0 के सदस्यों को भी उक्त एप्लीकेशन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- एन्ड्रॉयड आधारित समेकित जनशिकायत निवारण प्रणाली, जो **समाधान** के नाम से जाना जायेगा, शुरू किया जा रहा है। यह एन्ड्रॉयड एप्लीकेशन ऑफ लाइन एवं ऑन लाइन दोनो पद्धतियों से कार्य करेगा।
- एकल खिड़की पद्धति के माध्यम से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुमंडलों में जुलूस, सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, लाउड स्पीकर, निर्वाचन प्रचार कार्यालय हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त कार्य हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं इंस्पेक्टर/सब–इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। एकल खिड़की पद्धति से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 36 घंटों के अन्दर किया जायेगा। एकल खिड़की पद्धति के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी गयी है, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। आवेदनकर्त्ता को आवेदन की पावती एस0एम0एस0 के माध्यम से सम्प्रेषित की जायेगी। अनुमति ऑफ लाइन एवं ऑन लाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है।
- उच्चतम मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु व्यापक रूप से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक जागरूकता कार्यक्रम (SVEEP) के अन्तर्गत गतिविधियाँ की जायेंगी। मतदाता जागरूकता के अन्तर्गत प्रलोभन मुक्त मतदान (Ethical Voting) पर बल दिया जायेगा।
- मूलभूत बुनियादी सुविधाएं (पीने के पानी, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर, शेड, रोशनी) लगभग 90 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित कर दी गयी है। शेष मतदान केन्द्रों पर यह सुविधा आने वाले दिनों में सुनिश्चित कर दी जायेगी।
- प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में दो आदर्श मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र क्षेत्र में बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदान के पूर्व फोटो मतदाता पर्ची निर्वाचकों को वितरित की जायेगी। वितरण कार्य मतदान के तिथि के पांच दिन पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।
- भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।